गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

भौतिक संरचनाओं के रखरखाव हेतु अनुरक्षण नीति

प्रारूप 2020

प्रस्तावना:

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (जीजीवी) के पास शिक्षण , सीखने और अनुसंधान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत ढांचा है। विश्वविद्यालय के पास कंप्यूटर , कक्षाओं, उपकरणों और प्रयोगशालाओं के रखरखाव और उपयोग के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली है। यह सब विश्वविद्यालय को एक नियामक ढांचा प्रदान करते हैं और मौजूदा सुविधाओं के उपयोग तथा सुरक्षा की निगरानी के लिए जिम्मेदारियों का विभाजन कर ते हैं। परिसर में विश्वविद्यालय सुविधाओं की मरम्मत और रखरखाव के प्रकार और प्रकृति को छह प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण इस प्रकार है-

1.परिसर के भौतिक बुनियादी संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव:

शैक्षणिक भवन, अतिथि गृह, छात्रावास, आवासीय क्वार्टर आदि तथा बुनियादी संरचना जैसे बिजली की लाइनें (बिजली और घरेलू) ट्रांसफार्मर सहित बिजली के उपकरण जैसे एसी , वाटर कूलर, यूपीएस, पंप, पानी की लाइनें, टैंक आदि इस श्रेणी में शामिल हैं।

2. शैक्षणिक बुनियादी संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव:

क्रम संख्या एक को छोड़कर कार्यालय प्रयोगशाला कक्षाएँ तथा अन्य विभागीय सुविधाओं सहित सभी शैक्षणिक बुनियादी संरचनाओं इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

3. आईसीटी सुविधाओं का सामान्य रखरखाव और वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी):

इस श्रेणी में कंप्यूटर (लैन कनेक्टेड) , ऑप्टिकल फाइबर , सर्वर, नेटवर्किंग की विभिन्न परतों सहित स्मार्ट क्लासरूम, और सेमी स्मार्ट क्लासरूम , पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस और संबंधित एक्सेसरीज परिसर के आईसीटी अवसंरचना शामिल हैं।

4. प्रमुख उपकरणों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध :

ऐसे सभी उपकरण जो विभिन्न विभागों, केन्द्रों, अनुभागों की विभिन्न प्रयोगशालाओं के प्रमुख / प्रभारी के द्वारा अनुसंसित किया जाता है और जिनकी लागत 5 लाख से अधिक की होती है ; इस श्रेणी के अंतर्गत उनका रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है।

5. विश्वविद्यालय परिसरों/सुविधाओं की सुरक्षा और स्वच्छता:

परिसर के बाथरूम और शौचालय सहित सड़कों, भवनों, उद्यानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों की सामान्य सफाई और परिसर में साफ-सफाई इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।

6. अक्षय ऊर्जा संसाधनों, जल निकायों और अपशिष्टों का प्रबंधन और रखरखाव:

सौर पैनल, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों , प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों तथा सभी प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन प्रणाली और उसमें सहायक उपकरण की मरम्मत और रखरखाव इस श्रेणी में शामिल है।

भौतिक संरचनाओं का रखरखाव:

विश्वविद्यालय के भौतिक बुनियादी संरचना ओं में सभी शैक्षणिक भवन , प्रशासनिक भवन, कैफेटेरिया, सभागार, केंद्रीय पुस्तकालय, आवासीय क्वार्टर, छात्रावास, गेस्ट हाउस, एचआरडीसी, स्वास्थ्य केंद्र, अन्य कार्यालय, खेल मैदान, कनेक्टिंग रोड, बोरवेल, ओवरहेड वॉटर टैंक, जल आपूर्ति वितरण प्रणाली , विद्युत आपूर्ति प्रणाली, जल निकासी और सीवरेज प्रणाली शामिल हैं। विश्वविद्यालय में एक समर्पित इंजीनियरिंग अनुभाग है जो सभी भौतिक बुनियादी संरचना ओं का बेहतर रखरखाव करता है। इंजीनियरिंग अनुभाग जो विश्वविद्यालय के अभियंता की अध्यक्षता में है, दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण और रखरखाव की देखभाल करता है। इंजीनियरिंग अनुभाग द्वारा हर साल सभी भौतिक बुनियादी संरचना ओं (सिविल और इलेक्ट्रिकल) के लिए नियमित मरम्मत और रखरखाव का अनुमाप तैयार करता है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों (तदर्थ मरम्मत) की शिकायतों को नोटशीट के माध्यम से दर्ज किया जाता है।

भौतिक संरचनाओं के रखरखाव का वर्गीकरण:

भौतिक संरचनाओं के रखरखाव में सिविल रखरखाव और विद्युत रखरखाव दोनों शामिल हैं। सिविल इंजीनियर विभाग द्वारा पर्यवेक्षण/निष्पादन किए जाने वाले सभी कार्य सिविल रखरखाव के अंतर्गत आते हैं , जबकि विद्युत अभियंता द्वारा पर्यवेक्षण/निष्पादित किए जाने वाले कार्य विद्युत रखरखाव विभाग के अंतर्गत आते हैं।

नागरिक रखरखाव :

नागरिक अनुरक्षण के अंतर्गत भवनों की नींवों, स्तंभों, दीवारों, स्लैबों, फर्शों एवं छतों, सड़कों, फुटपाथों, सीढ़ियों, छत्रों, दरवाजे एवं खिड़कियों, शौचालयों, पानी की टंकियों, सभागार, खेल मैदानों की मरम्मत से संबंधित कार्य ,

सीवर, सेप्टिक टैंक, ट्री गार्ड, नालियां, एबटमेंट, पुलिया, मिट्टी के बांध, ट्यूबवेल, पानी की पाइप लाइन, सीवर लाइन, गैरेज, शेड, गेट, विभाजन, ग्रिल, ओवरहेड टैंक, बैरिकेड्स, चारदीवारी, लकड़ी तथा स्टील के फर्नीचर और फिक्स्चर आदि कार्य शामिल है। इसके अलावा, भवनों की सफेदी, विभाजन, पैनलिंग और झूठी छत, प्लिंथ संरक्षण, वर्षा जल संचयन से संबंधित कार्य तथा उद्यानों का रखरखाव और विस्तार , पेड़ लगाना, मिट्टी को काटना,भरना और समतलन करने जैसे कार्य शामिल हैं।

विद्युतीय रखरखाव:

विद्युत अनुरक्षण के अंतर्गत सभी विद्युत फिटिंग जैसे एसीएस , एयर कूलर, वाटर कूलर, जेनरेटर, इनवर्टर, ट्रांसफॉर्मर ट्यूबवेल मोटर, पंप, ट्रांसमिशन लाइन, विद्युत वायरिंग, से संबंधित कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले पेड़ काटने, बिजली की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले पेड़ों को काटने संबन्धित कार्य , बिजली के खंभों की पेंटिंग, अर्थिंग प्वाइंट की मरम्मत, हाई मास्ट लाइटों की मरम्मत/प्रतिस्थापन, फोकस लाइटों की मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है। अप्रत्यक्षित कारणों से सुचारु बिजली आपूर्ति में दिन-प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पड़ने पर नियमित मरम्मत करने का कार्य नियमित विद्युत रखरखाव के अंतर्गत शामिल रहता है। अर्थात एसी, एयर कूलर, वाटर कूलर, ट्यूबवेल मोटर, पंप, ट्रांसमिशन लाइन, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत बिजली के तार , स्विच बोर्ड, पंखे, बिजली के कनेक्शन , ट्रांसफार्मर, बस बार, इमारतों की अर्थिंग , हाई मास्ट लाइट , फोकस लाइट आदि को लिया जाता है। इसके अलावा , ट्यूब लाइट , बल्ब, एलईडी, सोलर स्टैंडअलोन लाइट, स्ट्रीट लाइट, गीजर आदि जैसे गैर-मरम्मत योग्य जुड़नार और गैजेट्स को बदलना शामिल है।

मरम्मत का अनुमान :

सिविल या इलेक्ट्रिकल सेक्शन की नियमित/तदर्थ मरम्मत के अनुमान , जो प्रकृति में आवर्ती हैं , सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार इंजीनियरिंग अनुभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं और बजट स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

बजट की स्वीकृति और अनुमोदन

प्रमुख मरम्मत कार्य अनुमानों को वैधानिक निकाय अर्थात भवन समिति के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाता है और बाद में , इसे उपयुक्त बजट प्रावधान के लिए विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा

जाता है। वांछित बजट यूजीसी द्वारा नियमित अनुदान से आंतरिक संस्थानों से स्वीकृत और आवंटित किया जाता है।

कार्यों का निष्पादन :

विश्वविद्यालय के मरम्मत का कार्य इंजीनियरिंग अनुभाग द्वारा जीएफआर नियमों/प्रावधानों का पालन करते हुए किया जाता है या काम को सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रम या सीपीडब्ल्यूडी या किसी अन्य सरकार की एजेंसी के कार्य की प्रकृति, तात्कालिकता और मात्रा के आधार पर आवंटित किया जाता है।

संबंधित विभाग/उपयोगकर्ता द्वारा कार्य का सत्यापन

किए जाने वाले मरम्मत कार्यों को संबंधित उपयोगकर्ता विभाग/अनुभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है और इंजीनियरिंग अनुभाग द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है।

चित्र 1: विश्वविद्यालय के भौतिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव में शामिल प्रक्रियात्मक चरणों को दर्शाने वाला प्रवाह चार्ट है।

विशेष / तत्काल मरम्मत / रखरखाव:

विशेष या तत्काल मरम्मत एवं रखरखाव के कार्यों को विस्तृत आवश्यकता और कार्य की मात्रा तैयार करके विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग अनुभाग द्वारा लिया जाता है। इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों के अनुसार अनुमान तैयार किए जाते हैं। बजट उपलब्धता के बारे में टिप्पणी विश्वविद्यालय के वित्त अनुभाग से मांगी जाती है और प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास भेजी जाती है। । यह कार्य जीएफआर नियम और सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है।

संगोष्ठी हॉल और सभागार की उपयोगिता और रखरखाव

संगोष्ठी हॉल और सभागार का उपयोग अकादमिक सभाओं , संगोष्ठियों, सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए किया जाता है। संगोष्ठी हॉल और सभागार का रखरखाव इंजीनियरिंग अनुभाग के अंतर्गत आता है। जिसकी सुविधाओं को पाने के लिए सम्मेलन आयोजित करने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष के माध्यम से एक नोट-शीट जमा करनी होती है । दिन और कार्यक्रम की तारीख दर्ज की जाती है तथा इमारतों को

उपलब्धता पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होती है। विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के द्वारा उपलब्धता के तरीके बदलते रहते हैं।

2.शैक्षणिक अकादामिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव:

कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का रखरखाव:

कक्षाओं में फर्नीचर व शिक्षण सहायक सामग्री तथा प्रयोगशाला की निगरानी संबंधित प्रमुख/प्रभारी द्वारा की जाती है तथा संबंधित विभाग/केंद्र/अनुभाग के शैक्षणिक /गैर शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। संबंधित विभाग के प्रयोगशाला सहायक/ कर्मचारी उपलब्ध अवसंरचना/प्रयोगशालाओं के समुचित उपयोग की देखरेख करते हैं। छात्र कार्य दिवस के दौरान सभी कक्षाओं का पूरा लाभ लेते हैं और उपकरण प्रबंधन के लिए निर्देश भी प्राप्त करते हैं। वर्णित सुविधाओं की मरम्मत और रखरखाव प्रवाह इस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है, जो निम्नलिखित है-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण की मांग उठाना।
2. विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विभागों/केंद्रों/अनुभाग द्वारा अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में संभावित बजट प्रस्तुत करना।
3. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उचित अनुमोदन के बाद विश्वविद्यालय द्वारा बजट आवंटन और आवश्यक बजटीय सहायता के अंतिम आवंटन पर चर्चा , इस संबंध में प्रत्येक वैधानिक निकाय द्वारा जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के पहले ही अधिसूचना जारी की जाती है।
4. जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार चयनित एजेंसियों द्वारा बजटीय सहायता के भीतर रखरखाव कार्य का निष्पादन।

3. आईसीटी के सुविधाओं का सामान्य रखरखाव और वार्षिक (एएमसी) रखरखाव का अनुबंध :

आईसीटी सुविधाओं का रखरखाव:

विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया गया है कि आईसीटी सुविधाओं के सामान्य रखरखाव की निगरानी तकनीकी कर्मचारियों की एक टीम द्वारा की जाएगी , जिसमें जरूरत पड़ने पर संकाय सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। इस रखरखाव कार्य के डोमेन में लैन से जुड़े कंप्यूटर , सर्वर और कैंपस वाई-फाई , लैन नेटवर्क,

पुस्तकालय, कार्यालयों और विभागों के भीतर कम्प्यूटेशनल सुविधाएं , ऑप्टिकल फाइबर सहित परिसर में सभी आईसीटी अवसंरचना , नेटवर्किंग की विभिन्न परतें , स्मार्ट क्लासरूम शामिल हैं। उनमें सेमी स्मार्ट क्लासरूम , पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस और संबंधित सामान है। इ नके वार्षिक रखरखाव में आवश्यक सॉफ़्टवेयर इंस्टॉलेशन, एंटीवायरस और अपग्रेडेशन भी शामिल है। ई-कचरे को कम करने के लिए प्रोजेक्टर , कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सर्विसिंग की जाएगी और उनका प्रभावी ढंग से पुन: उपयोग किया जाएगा।

ऐसी मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रिया निम्नलिखित मानक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी (फ्लो चार्ट-III)

1. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित ऐसे प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण की मांग उठाना।
2. संबंधित प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में अस्थायी बजट प्रस्तुत करना।
3. बजट आवंटन और विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक बजटीय सहायता के अंतिम आवंटन पर चर्चा की जाएंगी। जैसा भी मामला हो, सक्षम अधिकारियों या वैधानिक निकायों द्वारा उचित अनुमोदन के बाद-इस संबंध में अधिसूचना प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले जारी की जाती है।
4. जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार चयनित एजेंसियों द्वारा बजटीय सहायता के भीतर रखरखाव कार्य का निष्पादन किया जाएंगा।

आईसीटी के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के माध्यम से रखरखाव सुविधाएं:

कुछ आईसीटी सुविधाओं को पूरे सत्र में सामान्य तकनीकी सहायता और रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है और घर में उपलब्ध तकनीकी कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसी आईसीटी सुविधाओं को एएमसी के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार तकनीकी व्यक्तियों की टीम द्वारा एएमसी की पहचान करने के लिए आईसीटी सुविधाओं की आवश्यकता होगी। यह भी सलाह दी जाती है कि परिसर में स्थापित किसी भी नई आईसीटी सुविधा को जहां तक संभव हो एएमसी संपर्क के साथ चालू किया जाए।

4. प्रमुख उपकरणों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध:

ऐसे प्रमुख आवश्यक उपकरण जिनकी वार्षिक लागत 5 लाख से अधिक है , उनका रखरखाव विभिन्न विभागों , केन्द्रों, अनुभागों के प्रभारी / प्रमुख द्वारा अनुशंसित एएमसी के माध्यम से किया जा ता है। हालांकि , विशिष्ट परियोजनाओं के तहत खरीदे गये उपकरण को यदि परियोजना में एएमसी अनुदान का प्रावधान नहीं है तो इस श्रेणी में कवर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे उपकरणों की एएमसी की जाएगी ज हाँ उपयोगकर्ता विभाग के पास है उपकरणों के संभावित उपयोग को दिखाया।

निम्नलिखित मानक प्रक्रिया का वार्षिक रखरखाव के अनुसार की जाएगी। (फ्लो चार्ट- IV)

1. विभाग में स्थापित एवं कार्यरत प्रमुख उपकरणों के लिए ऐसे विभाग के प्रभारी द्वारा वार्षिक अनुरक्षण संपर्क की मांग उठाना। यदि उपकरण काम करने की स्थिति में नहीं है , तो ऐसे उपकरणों के लिए एएमसी का प्रस्ताव करने से पहले संबंधित विभागाध्यक्ष को इसकी मरम्मत करनी चाहिए और काम करने की स्थिति में होना चाहिए।
2. संबंधित प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में अस्थायी बजट प्रस्तुत करना।
3. बजट आवंटन और विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक बजटीय सहायता के अंतिम आवंटन पर चर्चा , जैसा भी मामला हो , सक्षम अधिकारियों या वैधानिक निकायों द्वारा उचित अनुमोदन के बाद-इस संबंध में अधिसूचना प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले जारी की जाती है।
4. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) को विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा ठेके देने के लिए सिफारिश अंतिम रूप जीएफआर-17 के प्रावधान से की जाएगी।
5. **विश्वविद्यालय परिसरों /सुविधाओं की सुरक्षा और स्वच्छता:**

   इसमें सड़कों, भवनों, उद्यानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और परिसर के भीतर साफ-सफाई , जिसमें बाथरूम और शौचालय विश्वविद्यालय परिसर तथा सामान्य परिसर और विशेष रूप से संपत्ति की समग्र सुरक्षा शामिल है। शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों, सड़कों, रिहायशी क्षेत्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिथि गृहों एवं छात्रावासों आदि सहित परिसर के क्षेत्रों की सफाई आउटसोर्स एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रतिदिन की जाएगी। पूरे परिसर क्षेत्र की निगरानी

और रखरखाव एजेंसी पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त संबंधित प्रभारी को काम पूरा होने की रिपोर्ट देंगे। इसी तरह से सुरक्षा का ठेका किया जाएगा और आउटसोर्स किया जाएगा। विश्वविद्यालय और उसके हितधारकों के हित में विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसे किसी भी अनुबंध को समाप्त कर सकता है। विश्वविद्यालय ऐसे आउटसोर्सिंग के दौरान हरित परिसर स्वच्छ परिसर के मानदंडों को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करेगा। ऐसे आउट सोर्सिंग अनुबंध प्रदान करने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानक प्रक्रियाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों/अनुभाग/निकायों द्वारा की जाएगी।

6. **अक्षय ऊर्जा संसाधनों, जल निकायों और अपशिष्ट का रखरखाव प्रबंधन :**

इसमें सौर पैनलों, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों तथा सभी प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और वहां के सामानों की मरम्मत तथा रखरखाव शामिल है। यह सलाह दी जाती है कि नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ाया और संरक्षित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक जल निकायों (तालाबों) और जलाशय के रखरखाव की आवश्यकता होती है। परिसर भी सभी रूपों में कचरे की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करता है। इस तरह के कचरे की अधिकतम मात्रा का पुनर्चक्रण नीतिगत पहल है। विश्वविद्यालय सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए उचित रखरखाव अनुक्रम और प्रक्रियाएं तैयार कर सकता है। इस संबंध में भारत के पॉलिसी दस्तावेज़ में जो कुछ भी शामिल नहीं है , उसे विश्वविद्यालय के मानदंडों और समय-समय पर लागू होने वाले सामान्य नियमों के अनुसार लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के पास इस नीति के किसी भी खंड को बदलने या संशोधित करने या रद्द करने के सभी अधिकार हैं , यदि वह हितधारकों के सामान्य हित में उपयुक्त हो।